**<u>अति महत्वपूर्ण</u>**

**सं.ई-25013/2/2020-हिंदी/** 195

**भारत सरकार**
**जल शक्ति मंत्रालय**
**जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग**
**केंद्रीय जल आयोग**
**हिंदी अनुभाग**

901 (द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 25 अप्रैल, 2023

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**विषय: केंद्रीय जल आयोग(मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी डिक्टेशन योजना केंद्रीय जल आयोग, (मुख्यालय) में लागू की गई है। संघ की राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो वर्ष में सबसे अधिक डिक्टेशन हिंदी में देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 02 पुरस्कार, रखे गए हैं- एक हिन्दी भाषी अधिकारी के लिए तथा एक हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सुविधा उपलब्ध है और जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते है।

योजना की अवधि वित्तीय वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023) रखी गई है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिंदी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफ़ार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम,डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी।यह रिकार्ड उनके स्टेनो, निजी सचिव भी रख सकते हैं। उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

ज़ारी----2

अतः केंद्रीय जल आयोग, (मुख्यालय) में कार्यरत वे अधिकारी, जो वर्ष 2022-2023 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक है, कृपया अपने कार्य का विवरण **10 जून, 2023** तक हिंदी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को **hindisec-cwc@gov.in** पर भिजवा दें। ।

(राजिन्दर पाल)
उपनिदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

**सेवा में,**

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली।

**<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>**

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

**प्रपत्र**

**हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन संबंधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 के दौरान किए गए कार्य संबंधी रिकार्ड का प्रोफ़ार्मा**

1. अधिकारी का नाम :

2. आशुलिपिक/ वैयक्तिक सहायक का नाम :

| क्र.सं. | दिनांक | डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या | फाइल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

हस्ताक्षर

**<u>नामांकन प्रपत्र</u>**

| | | |
|---|---|---|
| नाम | : | |
| पदनाम | : | |
| निदेशालय/अनुभाग/एकक | : | |
| इंटरकाम एवं दूरभाष संख्या | : | |
| कमरा संख्या | : | |
| हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी | : | |

हस्ताक्षर